



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के अंतर्गत वनरक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा - 2013

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 03.01.2013

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 03.02.2013

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अवधि 04.02.2013 से 13.02.2013

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में वनरक्षक के रिक्त लगभग 2017 पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2013 आयोजित की जा रही है, जिसका परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

- चयन प्रक्रिया के चरण, चयन के संबंध में निर्धारित अर्हता संबंधी विस्तृत जानकारी मंडल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसका भलीभांति अध्ययन कर ही आवेदन-पत्र भरें।
- वनरक्षकों के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा साक्षात्कार व शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल आयोजित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। साक्षात्कार के लिए 9 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। व्यापक के वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम अध्याय-1 की कड़िका 1.7 का कृपया अवलोकन करें।
- साक्षात्कार एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण जिसमें पैदल चाल भी सम्मिलित है, की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से उपयुक्त अभ्यर्थियों को डाक से भेजी जायेगी तथा मंडल के वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर पृथक से इसका आयोजन नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को अपने आवेदन-पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जावेगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिये जावेंगे।
- आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह भी दर्शाना होगा कि वह किस जिले से लिखित परीक्षा देना चाहता है। आवेदक मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प दे सकता है, लेकिन जिस जिले में आवेदक नियुक्ति चाहता है उसी जिले की मेरिट सूची में उसके नाम पर विचार किया जायेगा एवं अभ्यर्थी का साक्षात्कार व शारीरिक क्षमता परीक्षण भी उसी संबंधित जिले में आयोजित किया जायेगा जिस जिले में नियुक्ति चाहता है।
- परीक्षा दिनांक : 03.03.2013 रविवार, समय प्रातः 10:00 बजे से 12:15 बजे तक
- पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता :-

पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
वनरक्षक कुल पद-2017	5200-20200+1800 ग्रेड पे (कनिष्ठ वेतनमान) 5200-20200+1900 ग्रेड पे (वरिष्ठ वेतनमान)	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण।

- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-
दिनांक 01 जनवरी 2014 को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष से कम होना चाहिये। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्र. सी-18-15/91/3/1, दि. 03.02.1992 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2014 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक (अथवा अधिकतम आयु के लिए निर्धारित वर्ष संख्या से अधिक) नहीं होना चाहिए।

स.क्र.	आवेदक श्रेणी	आयु-सीमा में छूट का विवरण
1.	पुरुष/महिला सामान्य/अनारक्षित	निरंक
2.	पुरुष आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
3.	महिला आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
4.	महिला 1. सामान्य वर्ग - विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा 2. आरक्षित-अजा/अजजा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा।	उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगा। उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगा।

**नोट : 1. मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट संबंधी विवरण नियम-पुस्तिका में अंकित है, जो कि मंडल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध है।
2. आरक्षण की सुविधा केवल मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए ही उपलब्ध होगी।**

- लिखित परीक्षा** - लिखित परीक्षा में गणित (माध्यमिक स्तर का) के 40 प्रश्न व सामान्य ज्ञान (माध्यमिक स्तर का) के 30 प्रश्न, इस प्रकार कुल 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में 2:00 घंटे की अवधि का होगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इस प्रकार कुल 70 अंक होंगे।
- शारीरिक क्षमता परीक्षण :**

- शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जायेगा, जिसमें वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाण (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :-

शारीरिक प्रमाण	ऊंचाई	सीना सामान्य	सीने का न्यूनतम फुलाव
पुरुष	163 से.मी.	79 से.मी.	05 से.मी.
महिला	150 से.मी.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

टिप्पणीः(क) अनुसूचित जनजाति के लिये पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. तथा महिला अभ्यर्थी की 145 से.मी. होना चाहिये।

(ख) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव (Chest Relaxation) में 5 से.मी. का (विना फुलाए 74 से.मी./फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण किया जाएगा।

(ग) अभ्यर्थियों के शारीरिक माप वन विभाग द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी समिति के प्रमाण से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाण के समय दोबारा प्रमाण कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र दे सकता है कि दोबारा मापने के परिणाम को अंतिम माना जायेगा एवं वह उससे सहमत रहेंगे तथा बाद में इस संबंध में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करेंगे।
अभ्यर्थी के लिखित घोषणा पत्र के आधार पर स्थल पर उपस्थित एक अपीलिय समिति जिसमें एक चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा पुनः प्रमाण किया जाएगा। अपीलिय समिति का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। वन विभाग द्वारा निर्धारित इस प्रक्रिया के आधार पर जो परिमाण अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा उसके पश्चात पुनः परिमाण की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि म.प्र. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में दोबारा शारीरिक माप करने का प्रावधान नहीं है।

- पैदल चाल**
पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 कि.मी. एवं **महिला अभ्यर्थियों** को 4 घंटे में 14 कि.मी. की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारम्भ होने के 60 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलम्ब से पैदल चाल प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के 30 मिनट बाद उपस्थित होने पर पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

किसी भी अभ्यर्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, क्योंकि म.प्र. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है।

नोटः(i) शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में अभ्यर्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(ii) प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार, शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी Admit Card लाना अनिवार्य होगा।

- परीक्षा शहर : लिखित परीक्षा का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर किया जायेगा।**
- जिलेवार उपलब्ध पद-वनरक्षकों की भर्ती हेतु रिक्त पदों की जिलेवार, श्रेणीवार व संवर्गवार क्षैतिज आरक्षण तालिका-**

क्र.	जिला	अनारक्षित			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग
		निल		शू.पू.सै.	निल		शू.पू.सै.	निल		शू.पू.सै.	
		ओपन	महिला		ओपन	महिला		ओपन	महिला		
1	2	3			4			5			6
1.	बालाघाट	136	17	17	19	3	3	16	2	2	215
2.	बैतूल	78	10	10	17	2	2	53	7	7	186
3.	रायसेन	30	4	4	14	2	2	5	1	1	63
4.	विदिशा	16	2	2	8	1	1	3	0	0	33
5.	राजगढ़	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
6.	सीहोर	8	1	1	2	0	0	2	0	0	14
7.	पन्ना	39	5	5	6	1	1	6	1	1	65
8.	छतरपुर	13	1	1	0	0	0	3	0	0	18
9.	टीकमगढ़	22	3	3	1	0	0	0	0	0	29
10.	छिंदवाड़ा	63	8	8	20	2	2	27	3	3	136
11.	ग्वालियर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12.	मुरैना	7	1	1	4	0	0	0	0	0	13
13.	श्योपुर	23	3	3	9	1	1	0	0	0	40
14.	होशंगाबाद	64	8	8	12	2	2	9	1	1	107
15.	हरदा	48	6	6	5	1	1	3	1	0	71
16.	इंदौर	1	0	0	8	1	1	0	0	0	11
17.	धार	2	0	0	1	0	0	9	1	1	14
18.	अलीराजपुर	0	0	0	2	0	0	8	1	1	12
19.	जबलपुर	8	1	1	3	0	0	0	0	0	13
20.	कटनी	16	2	2	2	0	0	3	0	0	25
21.	डिण्डोरी	0	0	0	4	0	0	13	2	2	21
22.	मण्डला	13	1	1	3	1	1	52	7	7	86
23.	खण्डवा	70	9	9	16	2	2	20	3	3	134
24.	बुरहानपुर	34	4	4	4	1	1	10	1	1	60
25.	खरगोन	17	2	2	3	1	1	17	2	2	47
26.	बड़वानी	9	1	1	2	0	0	1	0	0	14
27.	सिंगरौली	9	1	1	3	0	0	2	1	1	18
28.	सीधी	12	1	1	1	0	0	3	1	1	20
29.	सतना	2	0	0	1	0	0	3	0	0	6
30.	रीवा	4	1	1	0	0	0	0	0	0	6
31.	सागर	68	9	9	19	3	3	14	2	2	129
32.	दमोह	12	2	2	8	1	1	2	0	0	28
33.	सिवनी	39	5	5	15	2	2	27	3	3	101
34.	नरसिंहपुर	11	1	1	2	0	0	3	0	0	18
35.	अनूपपुर	9	1	1	1	0	0	8	1	1	22
36.	शहडोल	23	3	3	1	0	0	13	2	2	47
37.	उमरिया	27	4	4	2	0	0	9	1	1	48
38.	गुना	5	0	0	4	1	1	2	0	0	13
39.	शिवपुरी	4	1	1	8	1	1	3	0	1	20
40.	अशोकनगर	8	1	1	0	0	0	2	0	0	12
41.	शाजापुर	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
42.	रतलाम	5	0	0	0	0	0	1	0	0	6
43.	मंदसौर	7	1	1	1	0	0	1	0	0	11
44.	नीमच	9	1	1	4	0	0	1	0	0	16
45.	देवास	30	4	4	12	2	2	5	1	1	61
योग		1006	125	125	249	31	31	360	45	45	2017

नोटः 1. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत वनरक्षक का कोई भी पद रिक्त नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को अनारक्षित श्रेणी में मान्य करते हुए परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

2. प्रत्येक जिले के रोस्टर के आधार पर नियुक्ति के समय रिक्त पदों की गणना की जाकर नियुक्ति की जावेगी। पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।

14. आवेदन-पत्र की उपलब्धता :- परीक्षा का आवेदन केवल ऑनलाइन www.vyapam.nic.in अथवा www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 03.01.2013 से 03.02.2013 तक भरा जा सकता है।

सीधी भर्ती के पदों हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु परीक्षा शुल्क **रुपये 500/-** तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थी के लिये परीक्षा शुल्क **रुपये 250/-** का भुगतान डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड/मास्टरियो कार्ड)/क्रेडिट (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा एम.पी. आनलाईन की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकृत क्योस्क धारक के माध्यम से नगद किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थियों द्वारा अधिकृत क्योस्क को सिर्फ **रुपये 50/-** एम.पी. ऑनलाईन क्योस्क शुल्क अतिरिक्त देय होगा। क्योस्क केंद्रों के पूर्ण पते सहित जानकारी मण्डल की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध लिंक क्योस्क लिस्ट (KIOSK LIST) पर उपलब्ध है।

नोट :

- (i) **आनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।**
- (ii) **परीक्षा से संबंधित अन्य पूर्ण विवरण मंडल की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध है।**
- (iii) **परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा प्रवेश-पत्र (T.A.C.) मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, मंडल द्वारा प्रवेश-पत्र (T.A.C.) डाक से प्रेषित नहीं किये जाएंगे।**

(iv) **किन्हीं अपरिहार्य कारणों से प्रवेश पत्र (T.A.C.) डाउनलोड नहीं कर पाने की स्थिति में संबंधित जिला मुख्यालय के परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा से एक घंटे के पूर्व, आवेदक परीक्षा हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति ले जाकर परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को दिखाकर तथा अधीक्षक की पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् उनकी अनुमति प्राप्त होने पर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।**

(v) **वनरक्षक फील्ड का पद होने के कारण विकलांगों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं है।**

15. अनर्हताएँ :

1. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे मामलों में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
2. जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हुआ है। परन्तु निरर्हित नहीं होगा कि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है।
3. जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।
4. जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो तथा पुलिस वैरिफिकेशन में शासकीय सेवा के लिए अपात्र पाये जाने की स्थिति में।

संचालक